

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी: मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या-17/19

दायरा दिनांक:-29.01.2019

1. रामकुमार पुत्र श्री कालूराम जाति स्वामी साकिन सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान। वादी

बनाम

1. कालूराम पुत्र श्री लादुराम जाति स्वामी साकिन सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

2. रामेश्वरलाल
3. मुखराम
4. गौरीशंकर
5. कृष्णलाल
6. साहबराम
7. राजाराम
8. मीरा
9. सरोज
10. माया
11. सुन्दर
12. रोशनी

पुत्र/पुत्रीया श्री कालूराम अकवाम स्वामी साकिनान सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

..... प्रतिवादीगण

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिकारी अधिनियम

उपस्थित :-

- 1- श्री सुभाष चन्द्र बिश्नोई अभिभाषक वादी।
2- धनवीर सिंह हुन्दल अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 ता 12।
3- पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

--- निर्णय ---

दिनांक:-13.12.2019

पत्रावली पेश हुई अभिभाषक वादी उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर राजस्व तहसील सूरतगढ़ के वाके चक 14 एस पी डी के खाता संख्या 11/17 के प0 न0 187/11(36) के किला नं. 14 ता 17, 21 ता 25 = 2.277 है0 कमाण्ड मय खाला, प0 न0 187/19(37) के किला नं. 1/1 ता 4, 7 ता 25 = 5.315 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड, प0 न0 187/20(50) के किला नं. 1/2 ता 4/2, 8/2 ता 23/1 = 3.403 है0 कमाण्ड, प0 न0 187/12(51) के किला नं. 1 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 = 4.301 है0 कमाण्ड मय खाला इस प्रकार

..... 2 पर लगातार

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

खाता की कुल 15.296 है० कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला रकबा जो प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त रकबा पूर्व में वादी के दादा लादुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड था जो उनके फौत होने पर प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हुआ इसलिए उक्त रकबा पैतृक होने पर वादी का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है प्रतिवादी सं. 8 ता 12 शादीशुदा है वो उक्त रकबा नहीं लेना चाहती है इसलिए वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के नाम उक्त रकबा 1/8 हिस्सा प्रत्येक का खातेदारी कृषक घोषित किया जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी सं. 1 ता 12 की और से दिनांक 11.02.2019 को इकबाल जवाब दावा पेश किया गया साक्ष्य वादी व प्रतिवादीगण करवाकर बहस सुनी गई।



वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि चक 14 एस पी डी के खाता संख्या 11/17 के प० न० 187/11(36) के किला नं. 14 ता 17, 21 ता 25 = 2.277 है० कमाण्ड मय खाला, प० न० 187/19(37) के किला नं. 1/1 ता 4, 7 ता 25 = 5.315 है० कमाण्ड/अनकमाण्ड, प० न० 187/20(50) के किला नं. 1/2 ता 4/2, 8/2 ता 23/1 = 3.403 है० कमाण्ड, प० न० 187/12(51) के किला नं. 1 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 = 4.301 है० कमाण्ड मय खाला इस प्रकार खाता की कुल 15.296 है० कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला रकबा प्रतिवादी नं. 01 यानि मेरे पिता कालूराम पुत्र श्री लादुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है प्रमाणित नकल जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 11/12 संलग्न है जो प्रदर्श संख्या 1 है। उक्त रकबा पूर्व में मेरे दादा लादुराम पुत्र बद्दीदास कोम वैरागी साकिन सरदारपुरा खर्था के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड था जो चक 14 एस पी डी की जमाबन्दी सम्वत 2054 ता 2057 खाता संख्या 19/20 संलग्न है। इससे पूर्णतः साबित है कि उक्त रकबा पैतृक है। प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 जो हमारी बहने है वो उक्त रकबा लेना नहीं चाहती है उनका इकबाल जवाब दावा व सहमति पत्र संलग्न पत्रावली हैं इसलिए वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का उक्त रकबा का 1/8-1/8 हक व हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 12 द्वारा इकबाल जवाब दावा को स्वीकार किया व वाद वादी स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

बहस का मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया व संलग्न दस्तावेजों का गहनता से

उपखण्ड अधिकारी
सुरतगढ़

..... 3 पर लगातार

अवलोकन किया गया। संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 11/12 व जमाबन्दी सम्वत 2054 ता 2057 खाता संख्या 19/20 चक 14 एस पी डी के अनुसार उक्त रकबा पूर्व में लादुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड था जो उनक फौत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हुआ इसलिए रकबा पैतृक होने के कारण वादी नोशनल शेयर प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी सं. 8 ता 12 द्वारा सहमति पत्र पेश किया व इकबाल जवाब दावा दिया वो उक्त रकबा लेना नही चाहती है इसलिए वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित समझते है।



उक्त विवेचना अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर जैरवाद रकबा चक 14 एस पी डी के खाता संख्या 11/17 के प0 न0 187/11(36) के किला नं. 14 ता 17, 21 ता 25 = 2.277 है0 कमाण्ड मय खाला, प0 न0 187/19(37) के किला नं. 1/1 ता 4, 7 ता 25 = 5.315 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड, प0 न0 187/20(50) के किला नं. 1/2 ता 4/2, 8/2 ता 23/1 = 3.403 है0 कमाण्ड, प0 न0 187/12(51) के किला नं. 1 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 = 4.301 है0 कमाण्ड मय खाला इस प्रकार खाता की कुल 15.296 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला रकबा का वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 7 को ब.हि.बराबर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/12/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक सुतार

एवं उप खण्ड अधिकारी

सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

प्राथमिक डिकी बमुकदम इब्दाई

अज अदालत -सहायक जिलाधीश एव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास -मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अनवान:-

1. रामकुमार पुत्र श्री कालूराम जाति स्वामी साकिन सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान। वादी

बनाम

1. कालूराम पुत्र श्री लादुराम जाति स्वामी साकिन सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

2. रामेश्वरलाल
3. मुखराम
4. गौरीशंकर
5. कृष्णलाल
6. साहबराम
7. राजाराम
8. मीरा
9. सरोज
10. माया
11. सुन्दर
12. रोशनी

पुत्र/पुत्रीया श्री कालूराम अकवाम स्वामी साकिनान सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।

..... प्रतिवादीगण


वाद अन्तर्गत 88 आर.टी.ए. मुकदमा न0 17 वर्ष 2019 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादी सुभाषचन्द्र बिश्नोई एवं अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 ता 12 धनवीरसिंह हुन्दल व राज पैरोकार नायब तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादी स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेशित कर डिकी जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है:-

राजस्व तहसील सूरतगढ के वाके चक 14 एस पी डी के खाता संख्या 11/17 के प0 न0 187/11(36) के किला नं. 14 ता 17, 21 ता 25 = 2.277 है0 कमाण्ड मय खाला, प0 न0 187/19(37) के किला नं. 1/1 ता 4, 7 ता 25 = 5.315 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड, प0 न0 187/20(50) के किला नं. 1/2 ता 4/2, 8/2 ता 23/1 = 3.403 है0 कमाण्ड, प0 न0 187/12(51) के किला नं. 1 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 = 4.301 है0 कमाण्ड मय खाला इस प्रकार खाता की कुल 15.296 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 7 को ब.हि.बराबर को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

नोज.....×..... मुबलिंग.....×..... बाबत×..... खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह×.....फसदों की पालना.....×.....आज की तारख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें ।

बसिक्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 13/12/2019 को जारी की गई।


सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
एव उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ

